न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री मासिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्याः— 57/2022

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. रतनाराम पुत्र बालुराम 2. शैतानराम पुत्र बालुराम जातिगण गुर्जर निवासीगण रायराकलां—खुर्द तह0 सोजत जिला पाली।		1. भूण्डाराम पुत्र वचनाराम जाति गुर्जर निवासी रायराकलां—खुर्द तह0 सोजत जिला पाली। 2. मृतक देवाराम के कायम मुकाम— 2/1 मधुदेवी पत्नी देवाराम 2/2 पूरण पुत्र देवाराम जातिगण गुर्जर निवासी रायराकलां—खुर्द तह0 सोजत जिला पाली राज0। 2/3 सुआ पुत्री देवाराम पत्नी अमराराम जाति गुर्जर निवासी धगला बर निमाज, तह0 जैतारण जिला पाली राज0। 2/4 मैना पुत्री देवाराम पत्नी सोहनलाल जाति गुर्जर निवासी सिंगपुरा तह0 सोजत जिला पाली राज0। 2/5 गणकी पुत्री देवाराम पत्नी गुणेश जाति गुर्जर निवासी केलवाद तह0 सोजत जिला पाली राज0। 2/6 छोटी पुत्री देवाराम पत्नी रतन जाति गुर्जर निवासी केलवाद तह0 सोजत जिला पाली राज0। 3. सुराराम पुत्र बालुराम जाति गुर्जर निवासी केलवाद तह0 सोजत जिला पाली राज0। 4. हरजी पुत्र कानाराम जाति गुर्जर निवासी रायराकलां—खुर्द तह0 सोजत जिला पाली राज0। 5. मलाराम पुत्र केसाराम 6. मिश्रीलाल पुत्र केसाराम 7. ढगलाराम पुत्र रामाराम जाति गुर्जर निवासी रायराकलां—खुर्द तह0 सोजत जिला पाली राज0। 8. तहसीलदार भूमि धारक सोजत

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 229 आर.टी. एक्ट 1955 सपठित धारा आदेश 47 नियम 01 सी0पी0सी0

उपस्थितिः—

01. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
02. श्री अर्जुनसिंह राजपुरोहित अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 01 उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक :— 03/02/2025

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 229 आर.टी. एक्ट 1955 सपठित आदेश 47 नियम 01 सी0पी0सी0 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 01 भूण्डाराम पुत्र वचनाराम के द्वारा श्रीमान के न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 राजस्थान भू— राजस्व अधिनियम का पेश किया कि सरहद मौजा रायरा कला—खुर्द पटवार हल्का खोड़िया के वर्तमान खसरा संख्या 26, 27, 28, 31, 33 कुल खसरा 05 कुल रकबा 2.7700 हैक्टर कृषि भूमि आई हुई स्थित है। उक्त कृषि भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त भूमि के पड़ौस में अप्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा संख्या 25, 34, 34/1, 30, 35, 32 आई हुई स्थित है। प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि की जोत पर नाजायत कब्जा करने पर उतारू रहते है। मौके पर प्रार्थी व

उपखण्ड अधिकारी, सोजत (राज.)

अप्रार्थीगण की भूमि पर सीमाज्ञान / पत्थर गढ्ढी के अभाव में हर समय सीमाओं व धोरापाली को लेकर वाद विवाद होने की सम्भावना रहती है। प्रार्थी द्वारा तहसीलदार को सीमांकन करने हेतु निवेदन किया तथा सम्बधित राजस्व पटवारी आये, लेकिन मौके पर विवाद होने से उक्त भूमि का वैध सीमांकन एवं पत्थर गढ्ढी नहीं हो सकी। दिनांक 20/12/2021 को प्रार्थी व उसके परिवारजन मौके पर अपनी खातेदारी कृषि भूमि पर गये तो अप्रार्थीगण ने प्रार्थी की भूमि की सीमाओं मे आकर अनावश्यक कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग में दखल अन्दाजी करने लगे तथा मौके पर सीमाओ को लेकर विवाद उत्पन्न हुए। जिस आशय का प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 02 से 08 की ओर से जवाब पेश किया गया, जिसमें विवादग्रस्त कृषि भूमि को लेकर पहले से ही राजस्व वाद खातेदारी हक की घोषणा को लेकर वाद श्रीमान के न्यायालय मे विचाराधीन होने के बारे में अपने जवाब के जरिये बताया गया था तथा उक्त वाद में विमनाराम पुत्र श्री मगाराम, लादुराम पुत्र श्री मगाराम, हरीराम पुत्र कानाराम, शैतानराम पुत्र बालुराम, रतनाराम पुत्र बालुराम, सूराराम पुत्र श्री बालुराम, पूरणमल पुत्र देवाराम, ढगलाराम पुत्र रामाराम के द्वारा प्रार्थी भूण्डाराम के विरूद्ध वाद पेश किया गया था। उक्त वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी भूण्डाराम का कोई कब्जा काश्त सम्पूर्ण भूमि पर नही है तथा अन्य सहकाश्तकारों का कब्जा उनके पिता के जीवनकाल से चला आ रहा है। प्रार्थी भूण्डाराम उक्त प्रार्थना पत्र को पेश कर साक्ष्य एकत्रित करने के लिए पहले से विचाराधीन वाद पत्थर में उक्त साक्ष्य को पेश करने के आशय से प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान से आदेश प्रदान करवाया है, जिससे आदेश में भारी त्रुटि हुई है, जिससे व्यथित होकर यह पुनःविलोकन प्रार्थना पत्र मजबुत एवं ठोस आधारो पर पेश किया कि वक्त आदेश अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र का एवं दस्तावेजो का अवलोकन पूर्ण रूप से नही किया गया है। अप्रार्थी सख्या 01 ने अपने प्रार्थना पत्र में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की भूमि के सीमाज्ञान एवं पत्थर गढ्ढी के अभाव में हर समय सीमाओं एवं धोरा पाली को लेकर वाद विवाद होने की सम्भावना रहने के कथन किये है। अप्रार्थी संख्या 01 के द्वारा उक्त कृषि भूमि के सीमाज्ञान हेतु पूर्व में किया प्रयास किये तथा उक्त प्रयास से किया निर्णय हुआ आपने प्रार्थना पत्र में नही बताया है। जिस तथ्य के बारे में पुनर्विचार किया जाना कानून्न आवश्यक एवं न्याय संगत है। अप्रार्थी संख्या 01 ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य धोरे एवं काश्त को लेकर वाद विवाद होने पर प्रार्थी द्वारा तहसीलदार को सीमाज्ञान हेतु निवेदन किया तथा संबंधित पटवारी आये लेकिन मौके पर विवाद होने से उक्त भूमि का वैध सीमांकन एवं पत्थर गढ्ढी नहीं हो सकी। उक्त तथ्य के सम्बंध में अप्रार्थी संख्या 01 के द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया है, जिससे पटवारी हल्का के द्वारा मौके पर आकर सीमाज्ञान करने के सम्बंध में हो। अप्रार्थी संख्या 01 के द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया है। जबकि पत्थर गढ्ढी का आदेश जारी करने से पूर्व मौके की रिपोर्ट पटवारी हल्का से तलब किया जाना कानून्न आवश्यक है, जिस बिन्दु पर पुनर्विचार किया जाना कानून्न आवश्य एवं न्याय संगत है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 02 से 08 के द्वारा अपने जवाब में उक्त कृषि भूमि से सम्बंधित राजस्व वाद श्रीमान के न्यायालय में विचाराधीन होने के बारे में अवगत करवाया गया था। उक्त सम्पूर्ण भूमि पर अप्रार्थी संख्या 01 भूण्डाराम का कोई कब्जा काश्त नहीं है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 02 से 08 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 02 से 08 को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये कतई बेदखल नहीं किया जा सकता है। जब पहले से ही प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 02 से 08 का कब्जा काश्त लगातार कदीमी से चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में उक्त बिन्दुओं पर पुनर्विचार किया जाना कानून्न आवश्यक एवं न्याय संगत है। उक्त तथ्यों का अवलोकन पारित आदेश दिनांक 21/02/2022 में नहीं किया गया है। कोई भी पक्षकार अपनी भूमि का सीमाज्ञान करवाता है तो उक्त सीमाज्ञान के लिए नियमानुसार राशि राजकीय कोष में जमा करवाई जाती है, लेकिन पारित सीमाज्ञान/पत्थर गढ्ढी के आदेश में नियमानुसार राशि जमा करवाने के कोई आदेश पारित नही किया गया है, जबकि किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी भूमि का सीमाज्ञान करवाया जाता है तो वह अपनी स्वयं की सुविधा के अनुसार करवाता है, तथा राजस्व कर्मचारियों को नियुक्त करवाता है तो उक्त सीमाज्ञान के सम्बंध में नियत राशि को जमा करवाने के बाद ही सीमाकंन करने के आदेश प्रदान करना आवश्यक होता है, लेकिन हस्तगत प्रकरण में ऐसा कोई आदेश नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में उक्त आदेश पर पुनर्विचार किया जाना कानून्न आवश्यक एवं न्याय संगत है। अप्रार्थी संख्या 01 के द्वारा पूर्व में सूरज एण्ड कम्पनी रजिस्टर्ड जी चेटी रोड़ को पक्षकार बनाया था, लेकिन बाद में प्रार्थना पत्र पेश कर स्ट्रक आउट करवाया था। अप्रार्थी संख्या 09 को स्ट्रक आउट करने के बाद उसकी खातेदारी कृषि भूमि को अपने प्रार्थना पत्र से हटवाकर संशोधित प्रार्थना पत्र पेश करवाने के बाद ही निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। जो एक विधिक त्रुटि है। जिस पर पुनर्विचार किया जाना कानून्न आवश्यक एवं न्याय संगत हैं। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा पुनर्विलोकन प्रार्थना

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

न्यायालय पारित आदेश दिनांक 21/02/2022 का पुनर्विलोकन किया जाने का निवेदन किया है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 2/1 से 2/6, 3 से 7 बावजूद सूचना/तामिली अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 01 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी का यह कहना सही है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 08 के विरूद्ध धारा 110, 111, 128 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन पत्र अपनी कृषि भूमि खसरा नंबर 26, 27, 28, 31, 33 कुल खसरा 05 रकबा 2.7700 हैक्टर बाबत पेश किया तथा माननीय न्यायालय से गुजारिस है कि अप्रार्थी भुण्डाराम वल्द वचनाराम की कृषि भूमि सीमाकंन एवं पत्थरगड्डी करवायी जावे तत्पश्चात अप्रार्थी भुण्डाराम के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया जवाब मे प्रार्थी रतनाराम, शैतानराम व अन्य अप्रार्थीगण ने अपने समस्त तथ्य अपने जवाब मे अंकित किये जिसका हवाला माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 21/02/2022 मे किया जा चुका है तथा जिनका उज्र भी प्रार्थी रतनाराम, शैतानराम मृतक देवाराम के कायम मुकाम सुराराम, हरजीराम, मालाराम, मिश्रीलाल, ढगलाराम वगैरा ने बहस के दौरान ही अपने अधिवक्ता के माध्यम से निवेदन किया जा चुका है ऐसी स्थिति में प्रार्थी रतनाराम, शैतानराम का कहना गलत है कि प्रार्थी भुण्डाराम ने साक्ष्य एकत्रित करने हेतु श्रीमान से उक्त आदेश करवाया है। यहां प्रार्थी रतनाराम, शैतानराम ने न्यायालय ने दोनो पक्षकारो को सुन समझ कर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन कर यथोचित उचित आदेश पारित किया गया है जो पूर्ण रूप से सही है। प्रार्थी रतनाराम, शैतानराम ने जो रिवियू आवेदन किया है जो पूर्णरूप से गलत है रिवियू आवेदन मे प्रार्थी ने कोई नया तथ्य प्रकूट नहीं किया है और न ही रेकर्ड पर प्रत्यक्ष त्रुटि बतायी है। मात्र मामले को लम्बा खिचने हेतु उक्त रिव्यू आवेदन पेश किया है जो पूर्ण रूप से खारिज करने योग्य हैं। इस बाबत माननीय रेवेन्यू बोर्ड एवं उच्च न्यायालय ने निर्णय में स्पष्ट किया हैं। प्रार्थी को रिव्यू प्रार्थना पत्र का पद संख्या ए में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है न्यायालय द्वारा संपूर्ण प्रार्थना पत्र जवाब एवं विद्वान अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत दलिलों को सुन समझ कर एवं दस्तावेजो का अवलोकन करके ही फैसला (आदेश) पारित किया गया हैं। जो सही है अप्रार्थी भुण्डाराम ने प्रार्थना पत्र में पूर्ण रूप से दर्शित किया की दिनांक 20/12/2021 को एवं पूर्व में भी अप्रार्थी एवं प्रार्थीगण को निवेदन किया है कि वादस्त भूमि का सीमाकंन किया जावे इस हेतु तहसीलदार सोजत को एवं पटवारी को निवेदन किया गया जो सारे तथ्य बहस के समय न्यायालय के समक्ष रखे गये थे। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का पद संख्या बी में अंकित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है मौके पर विवाद होने की स्थिति में ही श्रीमान के समक्ष सीमाकंन एवं पत्थरगडी का आवेदन पेश किया गया है सीमाकंन एवं पत्थरगड्डी की पटवार रिपोर्ट अलग अलग प्रस्तुत करने बाबत कोई कानून नही है। माननीय न्यायालय स्वीवेकानुसार कार्यवाही करने हेतु माननीय न्यायालय स्वतंत्र हैं। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पद संख्या सी गलत होने से अस्वीकार हैं। जिसका जवाब पूर्व में दिया जा चुका है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या डी में लिखित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। सीमाज्ञान का नियमानुसार शुल्क संबंधित सूपर्ण क्षेत्राधिकार तहसीलदार को हैं। जो नियमानुसार तहसीलदार के आदेशानुसार प्रस्तुत कर दिया जायेगा। माननीय न्यायालय द्वारा तहसीलदार सोजत के क्षेत्राधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। पुनःविचार याचिका पूर्ण रूप से गलत होने से अस्वीकार हैं। जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का पद संख्या एफ गलत होने से अस्वीकार हैं। अप्रार्थी संख्या 9 को हटाने हेतु माननीय न्यायालय का आदेश पूर्ण रूप से स्पष्ट है तथा न्यायालय ने लाल स्याही से शीर्षक में से नाम हटाने का आदेश दिया हैं जिस बाबत अलग से संशोधित शीर्षक प्रस्तुत करने का न तो आदेश दिया गया है और न ही ऐसा कोई कानून है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का पद संख्या ई काबिजे घोर अदालत के हैं। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का पद संख्या जी को न्याय शुल्क का हवाला नही दिया गया हैं। प्रार्थी द्वारा न्याय शुल्क कम पेश किया गया हैं। इस प्रकार अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 01 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थी का पुर्नर्विलोकन का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने व्यक्त किया कि वादस्थ भूमि के संबंध में खातेदारी घोषणा का वाद न्यायालय में विचाराधीन हैं। जिसकी प्रति फहरिस्त के साथ पेश की गई है। जब तक खातेदारी घोषणा का वाद न्यायालय द्वारा निस्तारित नहीं हो जाता तब तक पत्थरगढ़ी या पैमाईश नहीं की जा सकती है। अप्रार्थीगण केवल साक्ष्य एकत्र करने के लिए पत्थरगढ़ी कर रहा हैं ताकि प्रार्थी को मौके से डिसपजेश कर सके। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2022 का पुनर्विलोकन किया जाने का निवेदन किया है। जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा रिव्यू आवेदन

कोई नया तथ्य प्रकट नहीं किया है और न ही रेकर्ड पर प्रत्यक्ष त्रुटि बतायी हैं। मात्र को लम्बा खिचने हेतु उक्त रिव्यू आवेदन पेश किया है। प्रकरण मात्र पत्थरगढी का है। न्यायालय द्वारा संपूर्ण प्रार्थना पत्र जवाब एवं विद्वान अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत दलिलों को सुन समझ कर एवं दस्तावेजो का अवलोकन करके ही फैसला (आदेश) पारित किया गया हैं, जो पूर्णरूप से सही किया गया है। अतः प्रार्थी का रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में 2024(1) आरआरटी पेज 77, 2024(1) डिएनजे(रेव) पेज 86, 2024(1) डिएनजे(रेव.) पेज 101, 2023(2) डिएनजे(रेव) पेज 1335 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र फहरिस्त मय दस्तावेजात एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.05.2024 द्वारा प्रकरण में अप्रार्थीगण से जवाब प्रार्थना पत्र प्राप्त कर, विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष की गुणावगुण के आधार पर बहस सुनने के उपरांत विधिसम्मत रूप से निस्तारण करने हेतु आदेशित किया गया। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई नया/विशेष तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया, जिससे न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2022 में प्रत्यक्ष त्रुटि होना परिलक्षित होता हो। लिहाजा अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 229 आर.टी. एक्ट 1955 सपठित आदेश 47 नियम 01 सी0पी0सी0 का पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

—: आदेश :—

अतः अधिवक्ता प्रार्थी मय प्रार्थी का राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 229 आर.टी. एक्ट 1955 सपठित आदेश 47 नियम 01 सी0पी0सी0 का पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 03/02/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत